

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 460  
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई-I से IV के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास

460. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-I, II, III, IV) के अंतर्गत निर्मित सड़कों, पुलों और अन्य अवसंरचनाओं का परियोजनावार और जिलावार, विशेषकर कोणसीमा जिले में, तथा वर्षवार व्यौरा क्या है;
- (ख) आंध्र प्रदेश से पीएमजीएसवाई -III और पीएमजीएसवाई -IV के अंतर्गत सड़कों, पुलों और अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों का परियोजनावार और जिलावार , विशेषकर कोणसीमा जिले में, व्यौरा क्या है,
- (ग) आंध्र प्रदेश में पीएमजीएसवाई-III, IV के अंतर्गत लंबित और निर्माणाधीन सड़कों, पुलों और अन्य अवसंरचनाओं का व्यौरा तथा लंबित होने का कारण और निर्माण की प्रगति का परियोजनावार और जिलावार, विशेषकर कोणसीमा जिले में, व्यौरा क्या है; और
- (घ) आंध्र प्रदेश में सड़कों , पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई-I, II, III, IV के तहत पिछले तीन वर्षों में परियोजना -वार, वर्ष-वार और जिला-वार, विशेषकर कोणसीमा जिले में कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई है?

उत्तर  
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): आंध्र प्रदेश राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर 16.7.2025 तक कुल 20,032 किलोमीटर सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है।

दिनांक 16.7.2025 तक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कुल 599 किलोमीटर (102 सड़कें और 75 पुल) की शेष लंबाई का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है, जैसे कि पीएमजीएसवाई- I के अंतर्गत 65 किलोमीटर की 13 सड़कें और 2 पुल तथा पीएमजीएसवाई II के अंतर्गत 534 किलोमीटर की 89 सड़कें और 73 पुल। पीएमजीएसवाई-III के सभी स्वीकृत कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। राज्य में पीएमजीएसवाई I के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च, 2025 थी। पीएमजीएसवाई III के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को मार्च, 2026 तक पूरा किया जाना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित सड़कों और पुलों का विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	पूर्ण		
	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी)	पुलों की संख्या
2022-23	202	1,050.55	10
2023-24	78	369.14	9
2024-25	35	387.040	10
<b>कुल:</b>	<b>315</b>	<b>1,806.73</b>	<b>29</b>

कोणसीमा जिले में पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के तहत 567 किलोमीटर लंबाई वाली कुल 226 सड़कें और 9 पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से सभी का निर्माण पहले ही पुरा हो चुका है और पिछले तीन वर्षों के दौरान 28.33 किलोमीटर लंबाई वाली 6 सड़कें और 1 पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	पूर्ण		
	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी)	पुलों की संख्या
2022-23	4	12.03	0
2023-24	1	0.00	1
2024-25	1	16.31	0
<b>कुल:</b>	<b>6</b>	<b>28.33</b>	<b>1</b>

पीएमजीएसवाई कार्यों का जिलावार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट [www.omss.nic.in](http://www.omss.nic.in) > प्रगति निगरानी > राज्य एमपीआर सारांश रिपोर्ट पर देखा जा सकता है।

पीएमजीएसवाई-I V के अंतर्गत, राज्य कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर रहा है। केंद्र सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम कर रही है। पीएमजीएसवाई-I V की समय-सीमा वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा आंध प्रदेश को जारी की गई निधि के केंद्रीय अंश और किए गए व्यय (राज्य अंश सहित) का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत/जारी	व्यय
2022-23	644.13	748.63
2023-24	140.64	368.03
2024-25	507.32	370.60
<b>कुल:</b>	<b>1,292.09</b>	<b>1,487.26</b>

पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु राज्य को निधि का आवंटन/जारी करना, राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, चल रहे कार्यों, राज्य की निष्पादन क्षमता और राज्य के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि पर निर्भर करता है। योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि मंत्रालय द्वारा समग्र रूप से राज्य को जारी की जाती है। इसके अलावा, जिला स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को निधि जारी करना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पीआईयू की उपयोग क्षमता के आधार पर किया जाता है।

पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का व्यय सहित जिलावार विवरण, कार्यक्रम की वेबसाइट [www.omss.nic.in](http://www.omss.nic.in) > प्रगति निगरानी > राज्य एमपीआर सार रिपोर्ट पर देखा जा सकता है।

\*\*\*\*